166

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017/विविध

III/विविध/श्योपुर/भू.रा./2017/3721

रघुवीरसिंह पुत्र श्री लीलाधर शर्मा, उम्र 59 वर्ष, व्यवसाय कृषि, निवासी ग्राम वरगंवा, तहसील कराहल, जिला श्योपुर (म0प्र0)

-- आवेदक

बनाम

1- मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला श्योपुर (म0प्र0)

2- रामहेत पुत्र श्री किसल्ली,

3- नत्थू पुत्र श्री किसल्ली,

4- रामनारायण पुत्र श्री किसल्ली,

5- रूगनाथ पुत्र श्री किसल्ली, निवासीगण ग्राम वरगंवा, तहसील कराहल, जिला श्योपुर (म0प्र0)

--फोरमल पक्षकार

6- तहसीलदार, कराहल, जिला श्योपुर (म0प्र0)

<u>आवेदन-पत्र वास्ते प्रकरण क्रमांक 9096/2016/कन्टेम्पट में पारित निर्णय दिनांक 22.09.2017 में टायपिंग त्रुटि के कारण सर्वे नम्बर 696 रकवा 3.815 हैक्टेयर में छूट किये जाने बावत्।</u>

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से आवेदन-पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1- यहकि, आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष कन्टेम्पट प्रकरण क्रमांक 9096/2016 प्रस्तुत किया गया था।

2- यहकि, उक्त प्रकरण में सर्वे नम्बर 696 रकवा 3.815 हैक्टेयर एवं सर्वे नम्बर 777/2 मिन रकवा 1.547 हैक्टेयर का प्रचलित था, जिसमें माननीय नयालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.09.2017 में भूलवंश सर्वे नम्बर 696 रकवा 3.815 हैक्टेयर का उल्लेख नहीं किया गया है। इससे पारित निर्णय में दिनांक 22.09.2017 में परिवर्तन कर संशोधित आदेश पारित किया जाना विधि-संगत है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग -- अ

III / विविध / श्योपुर / भू०रा० / 2017 / 3721

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27 -10-2017	श्री एस0एल0 धाकड़ अभिभाषक द्वारा एक आवेदन पत्र प्रकरण कमांक 9096 / 2016 / कन्टेम्पट में पारित आदेश दिनांक 22-9-2017 में टायपिंग त्रुटि को सुधार किये जाने बावत प्रस्तुत किया गया है। 2 / आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय के मूल निगरानी प्रकरण का अवलोकन किया गया। विचारोपरांत मूल निगरानी के आदेश में हुई त्रुटि में सुधार करते हुये विविध प्रकरण 9096-एक / 2017 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 22-9-2017 में टायपिंग त्रुटि से सर्वे कमांक 696 रकबा 3.815 है0 छूट गया है। अतः आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त आदेश में सर्वे कमांक 777 / 2 रकबा 1.547 के साथ साथ सर्वे कमांक 696 रकबा 3.815 है0 रकबा भी पढ़े जाने के आदेश दिये जाते हैं। यह आदेश पत्रिका मूल आदेश का अंग होगी। (एस0एस0अली) सदस्य	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग -- अ